नकल आदेश दिनांक 13-04-23

मण्डलः—प्रयागराज,जनपदः—प्रयागराज,तहसीलः—हण्डिया

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्याः—2545 / 2023

देवेन्द्र मिश्र मैनेजिंग ट्रस्टी बनाम सरकार

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :—T202302030402545

अन्तर्गत धाराः—80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिताः—2006

आदेश तिथिः—13 / 04 / 2023

अन्तिम आदेश

प्रस्तुत वाद देवेन्द्र मिश्र नगरहा मैनेजिंग ट्रस्टी स्व0 श्रीमती श्याम कुमारी शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट निवासी 175 / 53ए / 5 तिलक नगर अल्लापुर प्रयागराज द्वारा मौजा आसेपुर परगना केवाई तहसील हण्डिया के गाटा संख्या 145 रकबा 1.1530 हे0 में से रकबा 0.5780 हे0 व गाटा संख्या 146 रकबा 0.3370 हे0 को अकृषिक घोषित कराये जाने हेतु योजित किया गया है। तहसीलदार हण्डिया से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार हण्डिया द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 05.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा आसेपुर परगना केवाई तहसील हण्डिया के गाटा संख्या 145 रकबा 1.1530 हे0 में से रकबा 0.5780 हे0 व गाटा संख्या 146 रकबा 0.3370 हे0 पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अकृषिक घोषित की जाने वाली भूमि के सर्किल रेट का 1 प्रतिशत मु0 35000 / —रू0 जरिए चालान संख्या डी 600003 दिनांक 06.04.2023 जमा किया गया है एवं 1 प्रतिशत मु0 35000 / —रू0 का स्टाम्प दिया गया है।

अतः आदेश हुआ कि मौजा आसेपुर परगना केवाई तहसील हण्डिया के गाटा संख्या 145 रकबा 1.1530 हे0 में से रकबा 0.5780 हे0 व गाटा संख्या 146 रकबा 0.3370 हे0 भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(2) के परन्तुक के अधीन कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उद्घोषणा की जाती है। आवेदक धारा 80(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करायें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार हण्डिया व उपनिबन्धक हण्डिया को अनुपालनार्थ भेजी जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13/4/23

(प्रेम नारायण)
उप जिलाधिकारी हण्डिया,
प्रयागराज।

18/4/23
माल अहलमद / पेशकार
उप जिलाधिकारी
हंडिया, प्रयागराज

नाम R.K. Mishra
नकल प्रार्थना पत्र 18-04-23
नकल तैयारी 18-04-23
नकल बारी 18-04-23